Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट

का

कार्य

75,23
17692

जूलाई १९३७—जनवरी १९३८

STOCK VERIFY
2019-20
25628
GKV Library

डिपार्टमेन्ट आफ़ पब्लिक इन्फ़ार्मेशन संयुक्त प्रान्त

64/22

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

❀ ओ३म् ❀

पुस्तक की संख्या 6K/22

पुस्तकालय-पंजिका-संख्या 9.6.4.02

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकता। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट

का

कार्य

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

75,23
17692

जूलाई १९३७—जनवरी १९३८ ई०

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट

गवर्नर

हिज़ एक्सेलेन्सी सर हैरी हेग, के० सी० एस० आई०, सी० आई० ई०,
आई० सी० एस०।

प्रधानमन्त्री (गृहविभाग और अर्थ)

माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल एल० बी०।

मन्त्री मालगुज़ारी और जेल

माननीय मिस्टर रफ़ी अहमद किदवाई।

मन्त्री न्याय, उन्नति, कृषि और वेटेरिनरी

माननीय डाक्टर कैलाश नाथ काटजू, एम० ए०, एल एल० डी।

मन्त्री लोकल सेल्फ़-गवर्नमेन्ट व स्वास्थ

माननीया श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित।

मन्त्री शिक्षा

माननीय पंडित प्यारेलाल शर्मा, एम० ए०, एल० एल० बी०।

मंत्री सड़क और चावपाशी

माननीय हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल एल० बी०।

स्पोकर लेजिस्लेटिव एसेम्बली

माननीय श्री पुरसोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल एल० बी०।

डिप्टी स्पोकर

मिस्टर अब्दुल हकीम, एम० ए०, एल एल० बी०।

प्रेसीडेन्ट लेजिस्लेटिव कौंसिल

आनरेबिल डाक्टर सर सीताराम, केटी०, एम० ए०, एल एल० बी०, डी० लिट०,
रायबहादुर।

डिप्टी प्रेसीडेन्ट

बेग़म एजाज़ रसूल।

चीफ़ सेक्रटरी

मिस्टर सी० डबल्यू० गुईन, सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, ओ० बी० ई०,
आई० सी० एस०।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पार्लियामेन्टरी—सेक्रेटरी

पंडित व्यंकटेश नारायण तिवारी, एम० ए०, एम० एल० ए०, चीफ़ व्हिप।

डाक्टर महमूद उल्ला जंग, बार-ऐट-ला, एम० एल० सी०।

मिस्टर मुहम्मद सुलेमान अनसारी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

मिस्टर अजितप्रसाद जैन, एम० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०।

ठाकुर हुक्म सिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०।

श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, एम० एल० ए०।

आचार्य युगल किशोर, एम० ए० (आक्सन), एम० एल० ए०।

मिस्टर आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल एल० बी०, एम० एल० ए०।

चौधरी बिहारीलाल, एम० एल० ए०।

डाक्टर सयद हुसैन ज़हीर, बी० ए०, पी एच० डी०, एम० एल० ए०।

श्री करन सिंह केन, बी० ए०, एम० एल० ए०।

श्री लक्ष्मीनारायण, बी० ए० (आनर्स), एम० एल० सी०।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट का कार्य

प्राक्कथन

यू० पी० गवर्नमेन्ट द्वारा पेश किये हुये बिलों के, जिनपर विचार हो रहा है और इस गवर्नमेन्ट द्वारा पास किये हुए मुख़्तलिफ़ क़ानूनों के उद्देश्य और प्रयोजनों का मुख़्तसर सा बयान ही इस छोटी सी पुस्तिका का अभिप्राय और विषय है। यह सब इस पुस्तक में छाप दिये गये हैं, ताकि यह खुद ही बता दे कि ये हैं क्या? प्रस्तावों की सूची से यह पता चल सकता है कि दोनों व्यवस्थापिका सभाओं में मत का झुकाव किस ओर था। इसी तरह से हम उन विशेषज्ञ कमेटियों के उद्देश्यों की फ़ेहरिस्त देखकर जो महत्वपूर्ण बातों पर विचार कर रही हैं, अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेन्ट जनता के प्रति अपना कर्तव्य किस तरह से पालन कर रही है। और श्रेणी और धर्म के किसी भी भेद भाव से पथ भ्रष्ट नहीं हुई है। गवर्नमेन्ट ने कांग्रेस के प्रस्तावों ही के अनुसार समस्त क़ानून बनाये हैं।

फिर भी सर्वसाधारण की सूचना के लिये इस स्थान पर उन मौलिक सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखने वाली चन्द महत्वपूर्ण बातें पेश की जा सकती हैं जिनकी बिना पर गवर्नमेन्ट ने हाल के क़ानून बनाये हैं।

पिछले ६ महीनों में यू० पी० की गवर्नमेन्ट नागरिक अधिकारों के बारे में ख़ास तौर से सतर्क रही है। इस सम्बन्ध में उसकी प्रवृत्तियां अनेक रहीं। पद ग्रहण करने के बाद ही नई गवर्नमेन्ट ने कानपुर, इलाहाबाद और सूबे के दूसरे ज़िलों के कई एसोसियेशनों पर से क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अनुसार लगाया हुआ प्रतिबन्ध हटा दिया। सूबे की, ख़ास तौर से कानपुर और इलाहाबाद की बहुत सी संस्थाओं, मसलन यूथ लीग, वर्कर्स ऐन्ड पेज़न्ट्स पार्टी, किसान संघ और हिन्दुस्तानी सेवा दल को ग़ैर क़ानूनी करार देने वाले हुक्म शुरू में ही वापस ले लिये गये थे। राजनैतिक क़ैदियों के मामलों की ठीक से जांच करने के बाद गवर्नमेन्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। बहुत से क़ैदी, जिनमें काकोरी केस में सज़ा पाये हुए लोग भी थे, रिहा कर दिये गये। राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर से पुलिस की निगरानी और उनके खता किताबत की जांच तथा ख़ास तौर से पब्लिक मीटिंगों में दी गई उनकी स्पीचों की रिपोर्टिंग बन्द कर दी गई। राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के कारण अब कोई नौकरी से वंचित न होगा। फिर भी गवर्नमेन्ट की यह राय है कि कांग्रेस के प्रस्ताव के मुताबिक़ नागरिक अधिकारों की रक्षा और उससे फ़ायदा उठाना तभी मुमकिन है जबकि लोग अहिंसा के दायरे में रहें। हुकूमत के कल पुर्ज़ों को उचित रूप से राष्ट्रीय भावों के अनुसार चलाने के लिये गवर्नमेन्ट ने शासन और कांग्रेस के संस्थाओं और कार्य्यकर्त्ताओं के दर्मियान अच्छे रिश्ते क़ायम करने के लिये हुक्म जारी किया है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने इसी के मुक़ाबले में शासन के साथ सहयोग करने की इसी प्रकार की हिदायतें जारी कीं। इस तरह से शंका के वातावरण को साफ़ करने की कोशिश की गई।

गवर्नमेन्ट इस बात को स्वीकार करती है कि प्रेस की आज़ादी नागरिक अधिकारों का सब से अच्छा आश्वासन है। इस बात का हुक्म दिया गया कि कोर्ट-नोटिसों और विज्ञापनों वग़रह के बांटने में बिलकुल निश्पक्षता बर्ती जाय। सभी महकमे के आला अफ़सरों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और सेशन जजों को फ़ौरन सूचना दी गई। हाईकोर्ट और चीफ़कोर्ट को भी गवर्नमेन्ट की नई नीति की इत्तला दी गई। किसी प्रेस या अख़बार के मैनेजर या एडीटर के राजनैतिक विचारों के बिना पर उनसे कोई भेदभाव नहीं रक्खा जा सकता। सन् १९३१ ई० के इंडियन प्रेस (इमरजेन्सी पावर्स) ऐक्ट के मुताबिक़ जो ज़मानतें मांगी गई थीं वे वापस कर दी गईं, सिवा उन ज़मानतों के जोकि उत्तेजनापूर्ण साम्प्रदायिक या श्रेणिगत विद्वेष फैलाने के लिये मांगी गई थीं। अख़बारों की काली फ़हरिस्त भी मंसूख़ कर दी गई है।

निस्सहाय लोगों और ग़रीबों को तंग किये जाने से बचाने के लिये मुनासिब कार्य्यवाही की गई, सरकारी महकमों में से रिश्वत और बेईमानी को दूर करने के लिये एक स्पेशल अफ़सर नियुक्त किये गये हैं और उनकी देख-रेख में काम बड़े ज़ोरों से हो रहा है। बेईमानियों के आम मसले पर और उसको मिटाने की तरकीबों पर जांच करने के वास्ते एक दूसरी अधिक व्यापक कमेटी कुंवर सर महाराज सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है।

लाकेन प्रान्त की सब से बड़ी ज़रूरत दुःखी किसानों के कष्टों को दूर करना था। इसलिये मौजूदा गवर्नमेन्ट ने सब से पहिली बात यह की कि २ अगस्त सन् १९३७ ई० को माननीय प्रीमियर ने व्यवस्थापक एसेम्बली में इस बात का एलान किया कि गवर्नमेन्ट का इरादा है कि व्यवस्थापिका के मेम्बरों की दो कमेटियां बनाये। एक कमेटी का उद्देश्य यह हो कि वह मालगुज़ारी के और लगान के (टेनेन्सी) क़ानूनों के सुधार पर बिचार करे और दूसरी ग्रामीण क़र्ज़ के कम करने की और पहले पास किये हुये क़र्ज़ के क़ानूनों को सुधारने की तजवीज़ों पर ग़ौर करे। इस एलान के बाद फ़ौरन ही, गवर्नमेन्ट ने हिदायतें जारी कीं कि (बदख़ली या दूसरे तरीक़ों से) १३४४ फ़सली की रबी के पहले बक़ाया लगान की वसूलयाबी के लिये अदालती कार्रवाई मुल्तवी कर दी जाय और इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट द्वारा वसूल होने वाले क़र्ज़ों की वसूली भी रोक दी जाय। इसके बाद ही जितनी जल्द मुमकिन हुआ, बक़ाया लगान और मामूली क़र्ज़ की अदालती कार्रवाइयों को मुल्तवी करने की इस आज्ञा को क़ानूनी रूप देने के लिये गवर्नमेन्ट ने मुल्तवी के दो क़ानून पेश किये। एक का सम्बन्ध दीवानी अदालत से था और दूसरी का रेवेन्यू यानी माल की अदालत से। इन दोनों क़ानूनों को व्यवस्थापिका ने मंज़ूर कर लिया। अदालत माल से सम्बन्ध रखने वाला क़ानून २२ सितम्बर सन् १९३७ ई० से अमल में आया, और दीवानी अदालत वाला क़ानून १ जनवरी सन् १९३८ ई० से। दीवानी अदालत की कार्रवाइयों को मुल्तवी करने वाला क़ानून, छोटे ज़मींदारों को भी फ़ायदा पहुंचाता है।

इस तात्कालिक सहायता देने के अलावा गवर्नमेन्ट तेज़ी से सुधार की तजवीज़ों की छानबीन में लग गई। एक छोटी विशेषज्ञ कमेटी ने लगान और मालगुज़ारी की समस्याओं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर बिचार शुरू किया और इसी उद्देश्य से व्यवस्थापिका द्वारा बनाई हुई दूसरी कमेटी ने भी नवम्बर और दिसम्बर के महीने में एकत्रित होकर तफ़सीली तौर पर सुधार की तजवीज़ों पर ग़ौर किया। आशा की जाती है कि यह कमेटी अपना काम बहुत जल्द खतम कर लेगी, और इसके बाद गवर्नमेन्ट आवश्यक क़ानून तैयार करेगी। दूसरी विशेषज्ञ कमेटी ने ग्रामीण क़र्ज़ और मौजूदा क़र्ज़ों की क़ानूनों की काफ़ी छानबीन की। इस सम्बन्ध में भी बहुत ही जल्द क़ानून पेश किया जायगा।

इसी बीच में गवर्नमेन्ट ने ऐसा हुक्म जारी किया जिससे किसान लोग अपना लगान तहसीलों में बग़ैर किसी खर्च के जमा कर सके। और ज़िला के अफ़सरों के पास यह हुक्म भेजा कि मालगुज़ारी वसूल करने के लिये ज़ाब्ते की कार्रवाई बहुत सोच बिचार कर की जाय। हालां कि यह बात स्पष्ट कर दी गई कि ज़मींदारों को मालगुज़ारी जमा करना ज़रूरी है और ज़िला के अफ़सरों का फ़र्ज़ है कि वह ऐसा इन्तज़ाम करें कि मालगुज़ारी ज़रूर जमा हो जाय। साथ ही साथ यह भी साफ़ २ बता दिया गया कि मौजूदा लगान अदा करना किसानों के लिये ज़रूरी है।

मालगुज़ारी न देने पर बड़ी २ रियासतों के साथ क़ुर्की के सम्बन्ध में जो पक्षपात किया जाता था, मिटा दिया गया। पानी बरसने की वजह से ख़रीफ़ की फ़सल को कहीं बाढ़ से और कहीं सूखे की वजह से नुक़सान पहुंचा था। गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में उदारता से काम लिया। पिछली गवर्नमेन्ट ज़्यादातर यह करती थी कि अगर कभी ख़रीफ़ की फ़सल नष्ट हो जाती थी तो लगान और मालगुज़ारी मुल्तवी कर देती थी; लेकिन मौजूदा गवर्नमेन्ट ने ख़रीफ़ में मालगुज़ारी में ३ १/२ लाख रुपये की छूट दी है और इसी हिसाब से लगान में भी छूट दी है। इसी के साथ मालगुज़ारी में २॥ लाख रुपये की मुल्तवी दी गई है। जहां ज़रूरत थी, तक़ावी उदारतापूर्वक बांटी गई है। तक़ावी के लिये जहां ज़रूरी समझा गया है रुपया मंज़ूर किया गया है। और क़रीब ३० लाख रुपया की तक़ावी बांटी गई।

गवर्नमेन्ट ने देहाती रक़बों में चारे और चराई के मसले पर भी ग़ौर किया है. चारे और चराई की कमेटी ऊसर ज़मीनों और नालों में चारा पैदा करने में उन्नति के प्रश्न पर अनुसन्धान करने के लिए एक पांच साल का प्रोग्राम बनाया है। यह कमेटी खास खास घासों और हरी पत्ती के चारों के पौष्टिकता पर भी विचार करेगी। एग्रीकल्चरल रिसर्च कौन्सिल इस प्रोग्राम पर ग़ौर कर रही है।

इसके अलावा गवर्नमेन्ट ने यह और हुक्म निकाला है कि १ जनवरी सन् १९३८ ई० से आनरेरी असिस्टैन्ट कलेक्टर क़ायम न रक्खे जायं। इस बात पर बिचार किया जा रहा है कि आनरेरी असिस्टैन्ट कलेक्टरों की प्रणाली को जारी रखने की कहां तक ज़रूरत है, इस प्रणाली में सुधारने की कहां तक गुंजाइश है और इसे क़ायम रक्खा जाय या न रक्खा जाय। गवर्नमेन्ट इस बात की भी आशा करती है कि लगान और मालगुज़ारी के नये संशोधित क़ानून का नतीजा यह भी होगा कि लगान और मालगुज़ारी से सम्बन्ध रखने वाले मुक़द्दमों की ज़रूरत कम हो जायगी और उसके मौक़े बहुत कम होंगे।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी बजट स्पीच में माननीय प्रधान मंत्री ने गवर्नमेन्ट के इस इरादे का एलान किया था कि वह सरकारी जंगलों की चराई की शरह को आधा कर देना चाहती है। जहां भी यह मुमकिन था वहां इसके लिये हुक्म जारी कर दिया गया। गवर्नमेन्ट के इस रियायत से जनता को क़रीब ७५ हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ।

लगान, मालगुज़ारी इत्यादि के सिलसिले में सुधार की कोशिश के साथ २, गवर्नमेन्ट ने ठोस रचनात्मक कार्य भी शुरू किया है। ग्राम उन्नति की एक योजना बनी है और इसके मुताबिक़ १० कमिश्नरी और ४८ ज़िलों के ८०० देहाती केन्द्रों के अन्दर काम हो रहा है। प्रत्येक केन्द्र एक आर्गेनाइजर के चार्ज में है। उसके अधिकार में ८ या १० गांव होते हैं। इस ढंग से इस स्कीम में लगभग ८०० नए आर्गेनाइज़र रक्खे गये हैं। इस प्रवृत्ति की तह पर यह सिद्धान्त है, कि ग्राम उन्नति करने की प्रेरणा खुद जनता के दिलों में ही पैदा हो। अन्त में ज़िम्मेदारी पंचायतों के हाथ में होगी। हालांकि फ़िलहाल सुधार की ज़िम्मेदारी ग्राम सुधार के कार्यकर्त्ताओं पर डाली गई है जिनको ट्रेनिंग दे दी गई है और जिन्हों-ने उत्साह के साथ काम शुरू कर दिया है। ग्रामीण जीवन का कोई भी पहलू नहीं जिसमें त्याग और स्वावलम्बन की भावना न पैदा करदी गई हो। अभी तक जो रिपोर्टें आई हैं, वह अत्यन्त सन्तोष जनक हैं। नई नियुक्तियों अल्पसंख्यक जातियों, किफ़ायत और ऐसे आदमियों के रखने का बराबर पूरा पूरा ख्याल रक्खा गया है जिनमें सेवा भाव हो।

इसके साथ ही साथ खेती के तरीक़ों में सुधार करने के वास्ते बजट में कुछ रुपया मंज़ूर किया गया है। बोने के लिये बेहतर बीजों को किसानों तक पहुंचाने का खास तौर से विशेष इन्तज़ाम किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि अगले अप्रैल या मई महीने तक कई "सीड-स्टोर" यानी बीजों के गोदाम खुल जायेंगे। किसानों को अच्छे बीज पहुंचाने के लिए कहीं यह होगा कि गांव वाले खुद अपना "बीज संघ" बनायेंगे और कहीं गवर्नमेन्ट सीड-स्टोर्स खोलेगी। जहां मुमकिन होगा, सीड-स्टोर, बेहतर औज़ार और खाद भी दिया करेंगे।

फल उन्नति बोर्ड की प्रवृत्ति भी ज़्यादा विस्तृत की गई है और प्रान्त की आलू की काश्त में उन्नति करने के लिये पहाड़ पर एक आलू का रिसर्च फ़ार्म खोला गया है और एक गोदाम बनाया गया है। मवेशियों की नस्ल में सुधार करने के लिये बेहतर क़िस्म के सांड़ बाहर से मंगाये जा रहे हैं। इज्ज़तनगर में, जोकि बरेली के पास है, एक सेन्ट्रल ऐनिमल न्यूट्रेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूट क़ायम करने की तजवीज़ है, यानी एक ऐसी केन्द्रीय संस्था बनाई जा रही है जिसमें इस बात की खोज होगी कि मवेशियों की खूराक़ सब से अच्छी क्या हो सकती है। जब यह संस्था क़ायम हो जायेगी, गवर्नमेन्ट की इस सिलसिले में की हुई कोशिशों को काफ़ी ताक़त मिल जायेगी। गवर्नमेन्ट ने कृषि और सहकारिता को मिला दिया है। कोआपरेटिव सोसाइटियां खेतों को एक चक करने की स्कीम आगे बढ़ा रही है, और साथ ही साथ, क़स्बों में बेहतर दूध पहुंचाने की योजना को भी तरक़्क़ी दे रही हैं।

पिछले ६ महीने में यू० पी० गवर्नमेन्ट ने दो महत्वपूर्ण व्यवसायिक समस्यायों का हल किया है। एक तो शक्कर की थी और दूसरी मज़दूरों की। संयुक्त प्रान्त का शक्कर का व्यवसाय निस्सन्देह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। मिलों की आपस की अनुचित लागडाट की वजह से शक्कर

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की क़ीमत इतनी घट गई है कि पिछली फ़स्ल में गन्ने के किसानों को मुश्किल से इतनी क़ीमत मिली, कि वह अपनी खेती का खर्चा निकाल सके।

चूंकि सारे हिन्दुस्तान की शक्कर के उपज का ८५ फ़ी सदी हिस्सा बिहार और यू० पी० के दो प्रान्तों में तैयार होता है, यू० पी० गवर्नमेन्ट और बिहार की गवर्नमेन्ट ने यह निश्चय किया कि दोनों एक सी कार्रवाई करें। इस निश्चय के अनुसार यू० पी० की गवर्नमेन्ट ने "यू० पी० शूगर फ़ैक्टरीज़ कन्ट्रोल बिल पेश किया है", ताकि मिलों पर नियंत्रण रक्खा जा सके। शक्कर के मिलों को लाइसेन्स देना, मिलों तक गन्ना पहुंचाने की व्यवस्था, शक्कर की कम से कम क़ीमत का निश्चित करना, तथा शूगर कन्ट्रोल बोर्ड और ऐडवाइज़री कमेटी की नियुक्ति इस बिल का विषय है। लाइसेन्स उन्हीं मिलों को दिया जायगा जो शक्कर की बिक्री के बारे में बनाई हुई गवर्नमेन्ट की शर्तों को मंज़ूर करेंगी, गवर्नमेन्ट द्वारा स्वीकृत शक्कर के व्यवसाय की एक विशेष संस्था की मेम्बर होंगी, और गन्ने के एक खास मात्रा खरीदने के लिये तैयार होंगी।

यह शर्तें इस लिये बनाई गई हैं कि मिल का काम भी अच्छी तरह चलता रहे और शक्कर की उपज पर वास्तविक अंकुश रक्खा जा सके। देखरेख और सुव्यवस्था के लिये इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मिल वाले केन्द्रीय संस्था के मेम्बर ज़रूर बनें। गन्ने की बिक्री के बारे में यह इन्तज़ाम किया गया है कि एक निश्चित हल्क़े के गन्ना बोने वाले काश्तकार से या गन्ना बोने वालों की कोआपरेटिव सोसाइटी से, यह पक्के तौर पर कह दिया जायेगा कि उस क्षेत्र के लिये निश्चित की हुई मात्रा तक और गवर्नमेन्ट द्वारा नियत की हुई क़ीमत पर मिल उसका गन्ना ख़रीद लेगी। इस बिल में इस बात का भी इन्तज़ाम किया गया है कि गन्ने के ठेकेदारों को लाइसेन्स दिया जाय और चन्द हल्क़ों में उनको काम करने की इजाज़त न मिले। इस तरह से मिलों को गन्ना पहुंचाने के काम में, जो एक बीच के आदमी का खर्चा होता था, कम पड़ गया। इस बिल में इस बात का भी इन्तज़ाम किया गया है कि जो गन्ना मिलों में बेचा जाये उसकी कम से कम क़ीमत मुक़र्रर कर दी जाय, और जो खास क़िस्म के बढ़िया गन्ने हैं उनके लिये इसके अलावा क़ीमत दी जाय। गन्ने के खराब बीजों की बिक्री और वितरण रोक दिया गया है। ऐसी बुराइयां को, जैसे कि कम तौलना और गन्ने की क़ीमत अदा करने में बेज़ाब्तगी करना, रोकने के लिये और गन्ने की आमद पर क़ाबू रखने के लिये गवर्नमेन्ट ने खास कार्रवाई की है और एक केन कमिश्नर और बड़ा अमला रक्खा है। पारसाल गन्ना पैदा करने वाले को २ १/२ आना के क़रीब मिलता था लेकिन अब उसको कम से कम पांच आने की क़ीमत मिल रही है।

इस बिल से गवर्नमेन्ट को इस बात का भी अख्तियार मिल गया है कि मज़दूरों के बारे में भी वह चन्द शर्तें बना दे। शक्कर मिल वालों को इन शर्तों के मुताबिक़ मज़दूरों को नौकर रखना होगा और जब तक यह शर्तें पूरी न होंगी, मिलों को गन्ना पेरने का लाइसेन्स न दिया जायगा। मुख़्तसर में बात यह है कि इस बिल की वजह से किसान को इस बात का यक़ीन करा दिया गया है कि उसका गन्ना एक मुक़र्रर शरह पर ज़रूर बिक जायगा। मज़दूर लोगों को भी इस बात का यक़ीन करा दिया गया है, कि उनकी मज़दूरी, उनके काम करने और

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहने सहने की परिस्थिति सुविधाजनक होगी और व्यवसाय को इस बात का निश्चय करा दिया गया है कि उसकी तरक्क़ी एक ठोस तरीक़ से होती रहेगी। इस सिलसिले में यह कहना असंगत न होगा कि गवर्नमेन्ट ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है जो इंजन चलाने के लिये शीरा से तेल (अलकोहल) बनाने की व्यवस्था पर बिचार करेगी, योजना तैयार करेगी और इस बात की भी सिफ़ारिश करेगी कि शीरे को और किस किस काम में लाया जा सकता ह।

प्रान्त के उपज सम्बन्धी साधनों को बढ़ाने के लिये गवर्नमेन्ट ने इसके अलावा भी कोशिश की है। कच्ची खाल के व्यवसाय की उन्नति के लिये गवर्नमेन्ट ने एक योजना मंज़ूर की है और बिचार यह है कि अगर सम्भव हो तो इस योजना के चलाने के साथ २, देहाती हलक़ों में चमड़ा कमाने का हुनर सिखाने के वास्ते छोटे २ स्कूल खोले जायं। इस योजना की मंशा यह है कि मवेशी के मालिकों, क़साइयों, खाल खींचने वालों और चमड़ा कमाने वालों में सही तरीक़े से काम करने के लिये ज़ोरदार प्रचार हो और वास्तविक प्रदर्शन द्वारा उन्हें खाल खींचने और चमडा कमाने के सुधारे हुये तरीक़े समझाये जायं। विशेषज्ञों से लगातार सलाह, मशविरा लेते रहने और व्यापार की ज़रूरियात से जानकारी रखने की ग़रज़ से यह तजवीज़ की गई है कि इस व्यापार के ज़रूरी नुमायन्दों की एक ऐडवाइज़री कमेटी बनाई जाय जोकि चमड़े के सरकारी विशेषज्ञों को ऊपर लिखी हुई योजना को चलाने में मदद दें।

यू० पी० की गवर्नमेन्ट को इस बात का भी काफ़ी ख़्याल है कि घरेलू उद्योग-धन्धों को फिर से ज़िन्दा बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें घी का उद्योग और उपज सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण ह। एक प्राइवेट बिल, जिसका नाम यू० पी० आर्टीफ़ीशियल घी कलराइज़ेशन बिल यानी बने हुये घी को रंगने का बिल है। मेम्बरों की राय हासिल करने के लिये घुमाया गया है। इस बात का इरादा किया गया है कि इस सूबे में खालिस घी में मिलावट बन्द कर दी जाय; जिसकी वजह से असली घी के उद्योग में इतने दिनों तक रुकावट पड़ती रही है।

इस बात की हिदायत जारी की गई है कि जहां तक हो सके लिखने पढ़ने का सामान आम तौर पर हाथ का बना हुआ खरीदा जाय। गवर्नमेन्ट ने हुक्म जारी किया है कि इस बात की हर तरह से कोशिश होनी चाहिये कि अफ़सरों और व्यवस्थापिका के मेम्बरों के इस्तेमाल के लिये हाथ का बना हुआ सोख्ता और लिफ़ाफ़ा काफ़ी तादाद में खरीदा जाय। साथ ही साथ इस बात की भी हिदायतें जारी की गई हैं कि हिन्दुस्तान में हाथ के बने हुये लिफ़ाफ़ों और लिखने पढ़ने के दूसरे सामान को बेहतर और सुन्दर बनाने का इन्तज़ाम किया जाय और हाथ से बने हुये ब्लाटिंग पेपर ऐसे हों कि उनमें स्याही सोखने की ज़्यादा ताक़त हो। हाथ से बने हुये काग़ज़ का काम सिखाने के लिये एक शिक्षक रक्खा जा रहा है।

गवर्नमेन्ट ने सरकारी महकमों के पास यह भी हुक्म भेजा है कि वे हाथ से कते और बुने हुये कपड़ों के व्यापारियों के संसर्ग में लावें ताकि उचित दाम पर उनके मिलने का इन्तज़ाम किया जा सके। स्वदेशी सामान के इस्तेमाल करने के बारे में गवर्नमेन्ट की नीति पर ज़ोर दिया गया है और यह हुक्म जारी किया गया है कि जब कभी बिदेशी चीज़ें खरीदी जायें, उनकी एक रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के पास भेजी जाय और उन्हें खरीदने का कारण भी बताया

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाय। गवर्नमेन्ट ने अब आम तौर पर सभी स्वदेशी चीज़ों और खास तौर से खादी की उन्नति में उत्साहपूर्वक योग देने की नीति को अपना लिया है।

मज़दूर समस्याओं के बारे में गवर्नमेन्ट की नीति भी इसी तरह बिल्कुल साफ़ है। वह जनता की रक्षा के लिये है। कानपूर में मज़दूरों के झगड़े थे और बाबू राजेन्द्रप्रसाद ऐसे सम्मानित व्यक्ति की अध्यक्षता में कानपुर की लेबर इन्क्वाइरी कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है।

इस बात का ख्याल रखते हुये कि सुसंगठित उद्योग-धन्धों में मज़दूरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मज़दूरों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को नियमित तरीके पर हल करना उचित है, गवर्नमेन्ट ने समझौते द्वारा मज़दूरों के झगड़ों को तै करने के लिये एक बिल पेश किया है। बिल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि मज़दूरों के हितों की देखभाल के लिये और मज़दूरों और मिल मालिकों के सम्पर्क को घनिष्ट बनाने के लिये एक नियमित इन्तज़ाम किया जाय। बिल की दफ़ाओं के मुताबिक़ एक लेबर अफ़सर नियुक्त किये जांयगे, जिनका पहला कर्तव्य यह होगा कि वह बुराइयों का पता लगाकर और उन्हें मिल मालिकों के सामने पेश करके इस झगड़े की तह में पहुंचें। इसके अलावा, लेबर अफ़सर मज़दूरों के हित की देखभाल करेंगे और हर तरह से उनकी भलाई करने वाले अफ़सर होंगे। वह मज़दूरों की शिकायतों की नुमायन्दगी करेंगे, उनकी शिकायतों को दूर कराने की कोशिश करेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो समझौते की बातचीत चलावेंगे। लेबर अफ़सर का फ़र्ज़ यह होगा कि वह मज़दूरों और मिल मालिकों में मेलजोल बढ़ावें, एक दूसरे को समझने और उनमें सद्भाव पैदा करने की कोशिश करें तथा उनके आपस के फ़ुज़ूल झगड़े रोकें। गवर्नमेन्ट एक लेबर अफ़सर मुक़र्रर कर चुकी है और पिछले बजट में कानपुर के मज़दूरों की हालत में सुधार करने के लिये १०,००० रु० रक्खा गया था। बिल में लेबर अफ़सर के अलावा इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि झगड़ा पैदा होने पर और लेबर अफ़सर के उस झगड़े को तै न कर सकने पर एक कान्सलियेटर यानी समझौता कराने वाला नियुक्त किया जाय। अगर कान्सलियेटर समझौता कराने की कोशिश में कामयाब न हो सके तो वह इस मामले में गवर्नमेन्ट को सलाह दे।

हिन्दुस्तान के लेबर के रॉयल कमीशन की शिफ़ारिशों को खास तौर से अमल में लाने के लिये एक मेटरनिटी बेनिफ़िट बिलपेश किया गया है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि जिन व्यवसायों में क़ानून के मुताबिक़ काम होता है उनमें औरतों को प्रसव के ४ हफ़्ते बाद तक काम न दिया जाय, प्रसव से ४ हफ़्ते पहले वे काम छोड़कर जा सकें और प्रसव की वजह से वे जितने दिनों तक ग़ैर हाज़िर रहें उनकी नौकरी क़ायम समझी जाय और उन्हें इस बात की काफ़ी आर्थिक सहायता दी जाय कि वे इस दरमियान में अपने को और अपने बच्चों को तन्दुरुस्ती की हालत में रख सकें। जिन फ़ैक्टरियों में ऐसी योजनायें पहले ही से चल रही हैं उन्हें क़ानून बनाकर इस सम्बन्ध में एक दूसरे के समान कर दिया जायगा। चूंकि ऐसी औरतों की कुल संख्या जिन्हें इस क़िस्म की मदद की ज़रूरत हो साल भर में थोड़ी ही होगी इसलिये जिन व्यवसायों में औरतें काम करती हैं, उनपर इस खर्च का बोझ ज़्यादा न पड़ेगा। कुछ उप-नियमों में बच्चे वाली औरतों को काम कराने की शर्तें इस तरह सुधार दी गई हैं कि कुछ पहलुओं से यह बिल रॉयल कमीशन की शिफ़ारिशों से भी थोड़ा आगे बढ़ गया है।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश सरकार

६५
२३

गवर्नमेन्ट ने एक महत्वपूर्ण काम यह किया है कि उसने क़ैदियों को होनहार नागरिक बनाने की कोशिश की है। जेल-शासन में सुधार करने के अलावा नवयुवक अपराधियों के लिये एक वार्सटल-बिल पेश किया गया है और क़ैदियों के रिहा होने के बाद उनकी देखभाल करने का प्रबन्ध करने के वास्ते भी एक दूसरा बिल पेश किया गया है। इन बिलों से यह आशा की जाती है कि अभागे क़ैदी उपयोगी इन्सान बन सकेंगे। रिहा किये हुये क़ैदियों को मदद देने के लिये एक प्रान्तीय संस्था बनाने का ख़्याल है जोकि खास तौर से ग़ैर सरकारी ढंग से होगी और स्थानीय एसोसियेशनों की सभी मौजूदा कार्यवाहियां इसके साथ होंगी। साथ ही साथ सभ्य देशों में बच्चों को दंड देने के जो वैज्ञानिक तरीक़े हैं जैसे कैदियों का भिन्न भिन्न श्रेणी में विभाजित करना, उनका अलग रखना, उनको मियाद से पहले नेक चलनी का वादा करने पर छोड़ना, और क़ैद से रिहाई के पहले ऐसा धन्धा सिखा देना जिससे उन्हें पैसे के लिये मुहताज न रहना पड़े वे भी वार्सटल-बिल में शामिल किये गये ह।

न्याय-शासन में आनरेरी मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने की प्रणाली बिलकुल बदली जा रही है। नये क़ायदों में इस बात का इन्तज़ाम किया गया है कि कोई अपने रिश्तेदारों का पक्षपात न कर सके और मजिस्ट्रेटों की योग्यता में पब्लिक को फिर से विश्वास पैदा हो जाय। इन नियमों का उद्देश्य यह है कि गवर्नमेन्ट पर खर्च डाले बिना ही ज़्यादा से ज़्यादा योग्य सामाजिक सेवा हो सके। तीन महत्वपूर्ण जुडीशल ऐक्ट पास किये गये हैं। एक में इस बात की मांग पेश की गई है कि कोर्ट आफ़ वार्ड्स की देखरेख में जो स्टेटें हैं उनके हिसाब की जांच सिर्फ़ सरकारी आडीटर ही करें। दूसरे क़ानून के ज़रिये से वक़्फ़ के कमिश्नर का काम करने के लिये प्रान्तीय वक़्फ़ों के कमिश्नरों की नियुक्ति क़ानूनी करार दी गई है। तीसरे ऐक्ट में स्टैम्प ऐक्ट्स और कोर्ट फ़ीस की पहले की कमियां दूर की गई हैं और आशा की जाती है कि कोर्ट फ़ीस में संशोधन करने वाले ऐक्ट से सरकारी आमदनी बढ़ेगी। पहले दो ऐक्टों से और कुंवर सर महाराज सिंह के प्रस्ताव से यह पता चलता है कि गवर्नमेन्ट जहां तक शासन को प्रान्तीय दायरे में ला सकती है लाने के पक्ष में है।

गवर्नमेन्ट की शिक्षा-नीति यह रही है कि वह छात्रवृत्तियां देकर दलित जातियों और स्त्रियों की सेवा करे और शिक्षा की सारी प्रणाली को देहाती ज़रूरियात के मुताबिक़ और उद्योगी सांचे में ढाले। शिक्षा को फिर से सुसंगठित करने के लिये दो कमेटियां बनाई गई हैं। एक कमेटी प्राइमरी और वर्नाक्युलर शिक्षा पर विचार करेगी और उसे ऐबट रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के ढंग पर लाएगी। यूनिवर्सिटी से पहले तक की सेकन्डरी शिक्षा पर दूसरी कमेटी में विचार किया जायेगा। बजट में देहाती पुस्तकालयों के लिये व्यवस्था की गई है। शिक्षित नवयुवकों को अपना ही व्यापार या कारबार शुरू करने में सहायता देने के लिये खास तौर से सहकारिता की प्रणाली पर, १ लाख रुपयों की रक़म अलग रख दी गई है। यह बात इस ख़्याल से की गई है कि इस सूबे की शिक्षा का असर शिक्षित बेकारों के असन्तोष की वजह से नष्ट न हो जाय। यक़ीन है कि गृह व्यवसायों से बेकारी की कठोरता थोड़ी बहुत कम हो जायेगी। तजवीज़ की गई थी कि छोटे २ व्यवसायिक साहसों के लिये रुपया उधार देने के वास्ते एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट कारपोरेशन व्यवसायिक ढंग पर चलाया जाय, जिसमें गवर्नमेन्ट भी कुछ मदद दे। एक पहले की कमेटी द्वारा बनाई हुई योजना की रूप-रेखा मंजूर कर ली गई

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। इस योजना में इस बात की व्यवस्था है कि १५ लाख रुपये से एक कम्पनी खोली जाय; और इसे लम्बे अर्से तक के लिये रुपया लेने का हक़ होगा और यह व्यवसायियों को कम से कम दर पर रुपया उधार देगी। गवर्नमेन्ट इस कारपोरेशन की सहायता के लिये इसके इन्त-ज़ामिया ख़र्चों के वास्ते ५ साल तक मदद देती रहेगी और उसके मुनाफ़ा को बढ़ाने के लिये १५ साल तक एक ख़ास रक़म देगी ताकि कारपोरेशन ४ फ़ी सदी का डिविडेन्ड दे सके। न वसूल होने वाली रक़मों के घाटे को पूरा करने के लिये गवर्नमेन्ट आर्थिक सहायता देगी। जो कन-टिनजेन्सी रिज़र्व फन्ड में रक्खा रहेगा और यह चन्द ख़ास शर्तों के मातहत होगा। इन सब बातों को देखने से यह सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है कि छोटे २ व्यवसायों को फिर से ज़िन्दा बनाने के लिये व्यवसायिक संस्थाओं को सरकार अस्थाई सहायता दे रही है, ताकि अशिक्षित लोग सरकारी नौकरियों में ही अपना निस्तार न समझें।

यातायात के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट ने बोर्ड आफ़ ट्रैफ़िक, डिविज़नल कन्ट्रोलिंग अथारिटी और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफ़िक कमेटी के विधान को फिर से बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनाई है, ताकि इससे बस के मालिकों और ग़ैर सरकारी लोगों की बेहतर नुमायन्दगी हो सके और रेलवे और सड़क की आमद-रफ्त में ज़्यादा सहयोग पैदा हो सके। कमेटी में जिन जिन बातों पर बहस होगी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें यह हैं:—"यातायात की यान्त्रित कुशलता; तीसरी पार्टी का इन्श्योरेन्स और रजिस्ट्री और लाइसेन्स को फिर से नया नया कराना"।

ए० सी० और डी० सी० करेन्ट के पारस्परिक फ़ायदों और बिजली के दाम कम कराने के सवालों पर विशेषज्ञ कमेटियां विचार कर रही हैं। उनकी सिफ़ारिशों से बिजली इस्तेमाल करने वाले ख़तरे से बचेंगे।

एक दूसरी अधिकार पूर्ण कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि फ़सलों के मूल्य के हिसाब से नहरों और नल-कुओं से आबपाशी करने के लिये क्या मुनासिब महसूल होना चाहिये और नहरों के क़ायदे किस तरह काम में लाये जायं।

स्थानीय स्वशासन की सारी प्रणाली पर विचार किया जा रहा है। गवर्नमेन्ट इस महकमे पर ख़ास तौर पर ज़ोर देती है। क्योंकि वह जानती है कि म्युनिसिपल स्वशासन की नींव को अच्छी तरह से पक्का बनाये बिना प्रान्तीय स्वशासन का ढांचा अच्छी तरह से क़ायम नहीं रह सकता। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट पर इस बात का ज़ोर डाला गया है कि वह पीने के पानी का बेहतर इन्तज़ाम करे और ज़्यादा कुएं खोदाये, देहातों से मलेरिया को नष्ट करदे। ग्रामीण औषधालय खोले जाने वाले हैं। हर एक्सेलेन्सी मारश्योनेस आफ़ लिनलिथगो की अपील का जो उदार स्वागत किया गया है उसकी वजह से तपेदिक़ को रोकने का लोकल गवर्न-मेन्ट का काम आसान हो गया है। कुमायूं को अब शिडचूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट से अलग किया जा रहा है और सूबे के दूसरे डिवीज़नों के शासन के मुक़ाबले में लाया जा रहा है।

यू० पी० के बजट में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। किफ़ायत ही मिनिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य रहा है। मंत्रियों ने ख़ुद अपनी तनख़्वाहें घटा दी हैं, अफ़सरों के सफ़र के भत्ते कम कर दिये हैं और

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आकस्मिक खर्च भी घटा दिये हैं। नये अफ़सर कम तनख्वाह पर रक्खे गये हैं मसलन ग्राम-सुधार की योजना में। राष्ट्र के निर्माणकारी कामों के लिये काफ़ी धन मंजूर किया गया है। शासन के खर्च में जहां सम्भव था बेहद किफ़ायत करने की वजह से ही यह सम्भव हो सका कि इस प्रकार की सहायता दी जा सके।

पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट फिर से सुसंगठित करके डिपार्टमेन्ट आफ़ पब्लिक इन्फ़ार्मेशन बना दिया गया है। इसका काम होगा कि वह बिलकुल सही सूचनायें निश्पक्ष भाव से दे। देहातों में प्रचार करने के काम पर भी काफ़ी ध्यान रक्खा गया है। धार्मिक और महत्वपूर्ण, मेलों का इन्तज़ाम एक विशेष मेला अफ़सर के हाथ में दिया गया है।

एटा और मैनपुरी के दो ज़िलों में मादक द्रव्यों का बिकना फ़ौरन बिलकुल बन्द कर दिया जायेगा। क़रीब चौथाई दूकानें तोड़ दी जायेंगी, फुटकल दाम तै कर दिये जायेंगे और चन्द जगहों पर सरकारी इन्तज़ाम में दूकानें क़ायम की जायेंगी। यानी सूबे में आबकारी के शासन को आम तौर पर सख्त बनाया जायेगा।

इस मुख्तसर बयान को खतम करने के पहले ज़रूरी मालूम होता है कि एक महत्वपूर्ण बात का ज़िक्र कर दिया जाय, जिसका प्रभाव इतना राजनैतिक नहीं जितना सांस्कृतिक है। माननीय स्पीकर ने एसेम्बली में काफ़ी बहस मुबाहसा हो जाने के बाद इस बात पर एक रूलिंग दी है कि एसेम्बली के मेम्बर किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। युक्त प्रान्त के एसेम्बली के मेम्बर अब हिन्दुस्तानी भाषा में बोल सकते हैं, ताकि वह अपने विचार बेहतर तरीक़े से ज़ाहिर कर सकें और दूसरे लोग भी उनकी बात को ज़्यादा आसानी से समझ सकें।

जो कुछ ऊपर लिखा गया है उसे वास्तव में उन सिद्धान्तों का एक शुष्क और नीरस वर्णन समझना चाहिये जो ऐक्ट, बिल और कमेटी के उद्देश्यों के निश्पक्ष अध्ययन के बाद हमारे सामने आते हैं। दूसरे लोग इसकी क़ीमत लगावें। सब काम सम्मिलित भाव से किया जा रहा है। ऐसे प्रश्नों पर जिन पर कार्रवाई करना अत्यन्त आवश्यक है विशेष ध्यान दिया गया है। गवर्नमेन्ट का यह दावा है कि उन्होंने सिर्फ़ इतना ही नहीं किया है कि वे कांग्रेस के बताये हुए सिद्धान्तों के खिलाफ़ नहीं गये बल्कि मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थिति में ये सिद्धान्त जितने आगे बढ़ाये जा सकते हैं उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। जनता की सेवा के लिये उसने कोई कष्ट उठाने या धन खर्च करने में कमी नहीं की।

इस बात को स्पष्ट करने के लिये कि पालिसी में और उसकी कार्रवाइयों में कितनी समानता है ये अतिरिक्त पृष्ट सम्मिलित किये जाते हैं।

बजट की कुछ खूबियां

१—तराई और भावर के सरकारी स्टेटों के कुछ हिस्सों में स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना बढ़ाई गई ह, जिसका सालाना खर्च ५ हज़ार रुपया है।

२—दलित जातीय शिक्षा के लिये १५ हज़ार रुपये प्रति वर्ष की स्थाई मंजूरी दी गई है।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३—देहाती पुस्तकालयों के लिये २० हज़ार रुपये अस्थाई रूप से दिये गये हैं, ताकि वे एसी किताबें ख़रीद सकें जो गांव के विद्यार्थियों और बालिग़ लोगों, दोनों ही के लिये उपयोगी हों।

४—बड़े २ क़स्बों में सहकारिता के ढंग पर ख़ालिश दूध इकट्ठा और मुहैया करने की योजनाओं के लिये २० हज़ार रुपयों की व्यवस्था की गई है।

५—मलेरिया को रोकने की योजना के लिये ४० हज़ार रुपये दिये गये हैं। यह रक़म गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया द्वारा दी हुई इतनी ही रक़म के अलावा है।

६—जिन गावों में पीने के पानी के कुयें नहीं हैं वहां ऐसे कुयें बनाने के लिये १ लाख ३५ हज़ार रुपये की मंज़ूरी हुई है।

७—ख़ालिश घी की उपज और बिक्री के लिये कोआपरेटिव सोसाइटियों का संगठन करने के लिये १२,५०० रुपये दिये गये हैं। चकबन्दी के लिये भी इतनी ही रक़म की मंज़ूरी दी गई है।

८—सांड़ों की ख़रीदारी के लिये जो रक़म मंज़ूर है उसमें २५ हज़ार रुपये और बढ़ा दिये गये हैं।

९—शुरू शुरू में ५ चुने हुए ज़िलों के वेटरिनरी महकमों में पशु-रक्षा का काम करने के लिये २५ हज़ार रुपये की सालाना रक़म मंज़ूर की गई है।

१०—किसानों को खाद मुहैया करने के लिये २ लाख रुपयों की पेशगी रक़म मंज़ूर की गई है। यह रक़म बाद में वापस वसूल कर ली जायगी।

११—ग्राम-सुधार की योजना के अन्तर्गत बेदाग़ और बेहतर बीजों को मुहैया करने के लिये ३ लाख रुपयों की जो स्थाई पेशगी है उसे दुगुना कर दिया गया है।

१२—ऊपरी गंगा नहर के माठ-भाग में कृषि की आन्तरिक उन्नति करने के लिये ४८ हज़ार रुपया फ़ी साल की अस्थाई और ७ हज़ार रुपयों की अस्थाई व्यवस्था की गई है ताकि फ़स्लें अच्छी हो सकें, जुताई बेहतर हो सके, पानी का किफ़ायत के साथ इस्तेमाल किया जाय और ज़मीन में खाद डाली जा सके ताकि वह घटिया न हो जाय।

१३—यू० पी० के फ़्रूट डेवलपमेन्ट बोर्ड को ४,५०० रुपया की वार्षिक मंज़ूरी दी गई है, ताकि वह तीन ज़रूरी केन्द्रों में फलों को बेचने की योजना कर सके।

१४—पहाड़ों में आलू के बीज को बढ़ाने की योजना के लिये १० हज़ार रुपयों की अस्थाई और १० हज़ार रुपयों की अस्थाई व्यवस्था की गई है।

१५—सरकारी-सहायता-प्राप्त व्यवसायिक ऋण कम्पनी की स्थापना के लिये पिछले साल जो सवा लाख रुपयों की मंज़ूरी दी गई थी वह अब भी क़ायम रक्खी गई है।

१६—सूबे की नये सिरे से व्यवसायिक पैमाइश कराने के लिये क़रीब १० हज़ार रुपये दिये गये हैं।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१७—नवजवानों के लिये व्यवसाय के नये काम शुरू करने के वास्ते १ लाख रुपये की मंज़ूरी दी गई है।

१८—खादी की उन्नति और वृद्धि के लिये १० हज़ार रुपयों की व्यवस्था की गई है।

१९—तेल निकालने के तरीक़े में सुधार कर के तेल के गृह व्यवसाय को उन्नति बनाने के वास्ते १० हज़ार रुपयों की अस्थाई और ४०० रुपयों की अस्थाई मंज़ूरी दी गई है।

२०—कच्चे चमड़े के व्यवसाय की उन्नति के लिये १,७५० रुपये अस्थाई रूप से दिये गये हैं।

२१—शीशे के व्यवसाय में उन्नति करने के लिये ४,८४० रुपये की व्यवस्था की गई है।

२२—बोर्ड आफ़ इन्डस्ट्रीज़ के पास रक्खी हुई एकजाई रक़म में १५ हज़ार रुपये फ़ी साल की रक़म बढ़ा दी गई है।

२३—मज़दूरों के हित के काम के लिये १० हज़ार रुपये दिये गये हैं। लेबर अफ़सर के स्टाफ़ के लिये ३ हज़ार रुपये फ़ी साल दिये गये हैं और कानपुर के मज़दूर सम्बन्धी झगड़ों की जांच करने के लिये गवर्नमेन्ट ने जो कमेटी नियुक्त की है उसके लिये भी ३ हज़ार रुपय अस्थाई रूप से मंज़ूर किये गये ह।

२४—पहाड़ों में पानी की बिजली ले जाने के लिये बजट में ख़र्च की व्यवस्था की गई है, ताकि पहाड़ के बाशिन्दों को जीविका प्राप्त करने में मदद मिले।

२५—सरकारी महकमों से बेईमानी दूर करने के लिये एक स्पेशल अफ़सर की नियुक्ति के वास्ते १० हज़ार रुपये दिये गये हैं।

२६—गुड़ बनाने के मौजूदा तरीक़ों में सुधार करने के लिये ३७,४६० रुपये की व्यवस्था की गई है।

२७—ग्राम-सुधार के लिये १० लाख रुपये मंज़ूर किये गए हैं। यह रक़म एक लाख रुपये की सालाना मंज़ूरी और गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया की मदद के अलावा है। इसमें यातायात, पानी और गृह व्यवसायों की उन्नति शामिल है।

Printed by the Superintendent, Printing and Stationery, U. P., Allahabad, India.

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Entered in Database
Signature with date

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar